नाती.
164/15/223
मूकना वगैरह बाबू वगैरह

तारीख पेशी	बनाम 15/00042 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....रोहित सोनी........ श्री ....[illegible]....	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

मूकना बनाम बाबू वगैरह (2015/00042)

20.9.18

पत्रावली वास्ते आदेश अपील हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपील दिनांक 07.09.2018 को बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 917 रकबा 0.13 है0 वाकै ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी की हैं। अप्रार्थी संख्या 01 उनके कब्जेकाश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न कर रहें हैं इसलिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत नहीं होतें हुए भी स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1917 रकबा 0.13 है0 वाकै ग्राम भीपुरा तहसील नसीराबाद वर्तमान जमाबंद सम्वत 2067 से 2071 में राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पिता के नाम अंकित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को विवादित आराजी से कोई लेना-देना नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने एक संयुक्त रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद किया है जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट की खसरा नम्बर 1913 रकबा 4 बीघा पर जबरन कब्जा कर रखा हैं उसको हड़पने की नियत से यह मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.04.2015 को अपास्त किया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया विवादित आराजी वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2067 से 2071 के अनुसार अपीलांट के पिता नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्धारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1917 रकबा 0.13 है0 वाकै ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद जमाबंदी सम्वत 2067 से 2071 अनुसार अपीलांट के पिता संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। एक संयुक्त खातेदार काश्तकार को अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जो विधि सम्मत नहीं हैं इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 23.04.2015 को निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।

[signature]
... अधिकारी

श्रीमानजी,
इस कार्यालय के पत्र क्रं. 2662 दि. 28.11.18 द्वारा L.C का रेकार्ड लौटाया जाता।